डीजी-परिपत्र संख्या-03 /2025

प्रशान्त कुमार, IPS
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ – 226002
फोन नं.:0522–2724003 / 2390240, फैक्स नं.:0522–2724009
सीयूजी नं. 9454400101
ई–मेल : police.up@nic.in
वेबसाईट : https://uppolice.gov.in

दिनांक: लखनऊ:फरवरी 19, ,2025

विषयः- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 107 के अन्तर्गत आपराधिक गतिविधियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्जित या प्राप्त सम्पत्ति की पहचान करने एवं उक्त सम्पत्ति की कुर्की, जब्ती व वापसी की प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदया/महोदय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) की धारा 107 में आपराधिक गतिविधियों से अर्जित या प्राप्त सम्पत्तियों की कुर्की, जब्ती और वापसी के बारे में प्राविधान किये गये हैं, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता आपराधिक गतिविधियों से अर्जित/प्राप्त की गई सम्पतियों का चिन्हीकरण है। सम्पत्ति की पहचान इस आधार पर की जानी चाहिए कि वह किसी अपराध के किये जाने या किसी व्यक्ति द्वारा आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त की गई है। सम्पत्ति चल-अचल, मूर्त-अमूर्त दोनों प्रकार से शामिल हैं। सम्पत्ति का स्वामित्व पता लगाने के लिए सम्पत्ति की प्राप्ति, श्रोत, सम्पत्ति का प्रकार, सम्पति का स्वामित्व, सम्पत्ति का अंतरण आदि को आधार मानकर जांच की जानी चाहिए।

आपराधिक गतिविधियों से अर्जित सम्पत्तियों की पहचान निम्न तरीके से की जा सकती है-

1. आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की अपराध से पूर्व की सम्पत्ति तथा वर्तमान में धारित वर्धित सम्पत्ति का अंतर।

2. आपराधिक व्यक्ति के आय के स्रोत से अधिक अर्जित सम्पत्ति।

3. आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के मूल निवास से आर्थिक स्थिति की जांच करके।

4. आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के स्वयं के, पत्नी के, पुत्र-पुत्री के नाम खरीदी गई सम्पत्ति तथा अपने निकट रिश्तेदारों, सहयोगी, मित्र, साझेदार के नाम से खरीदी गई सम्पत्ति तथा उनसे प्राप्त आय के वितरण के संबंध में जांच से।

5. अपराधी कई बार सम्पत्ति स्वयं के नाम न रख कर अपने निकट रिश्तेदार या अन्य बेनामी रूप में रखते हैं, ऐसी स्थिति में निम्न बिन्दुओ के आधार पर जांच कराकर पता लगाया जा सकता है।

- सम्पत्ति की खरीद के विक्रय मूल्य के अंतरण के स्रोत व मूल कागजात का आधिपत्य संबंधी जांच ।
- सम्पत्ति से अर्जित आय को प्राप्त करने के संबंध में जांच ।
- सम्पत्ति के रख रखाव हेतु खर्च किये जाने वाले धन के स्रोत के संबंध में जांच ।

6. आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के स्वयं के, पत्नी के, पुत्र-पुत्री, निकट रिश्तेदारों, सहयोगी, मित्र, साझेदार के बैंक खातों में होने वाले लेनदेन की जांच तथा आयकर विभाग में इनके द्वारा विगत वर्षों में जमा की गई आयकर विवरणियों की जांच से।

7. तहसीलदार/स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकरण जहां ऐसी सम्पत्ति होने की संभावना हो, से जांच कराकर।

8. यदि किसी व्यक्ति की आय उसके द्वारा खरीदी गई संपत्ति के मूल्य के अनुरूप नहीं है, तो यह संकेत हो सकता है कि संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की गई है।

9 यदि किसी संपत्ति के स्रोत का पता लगाना मुश्किल है या यदि संपत्ति का स्रोत संदिग्ध है, तो यह संकेत हो सकता है कि संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की गई है।

10. यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति बहुत जल्दी बेच रहा है या बहुत कम कीमत पर बेच रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की गई है।

11. यदि किसी संपत्ति का स्वामित्व बार-बार बदल रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि संपत्ति का उपयोग धन शोधन के लिए किया जा रहा है।

12. यदि किसी संपत्ति का उपयोग व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि सम्पत्ति अवैध तरीके से अर्जित की गई है।

13. यदि किसी व्यक्ति को बैंक खाते में असामान्य लेनदेन हो रहे हैं. तो यह संकेत हो सकता है कि वह अवैध गतिविधियों में शामिल है।

<u>सम्पत्ति की कुर्की, जब्ती व वापसी के संबंध में प्रक्रिया-</u>

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत सम्पत्ति की कुर्की के प्राविधान दो प्राथमिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं।

1- अपराधी/आरोपी को अपराध के लिए जवाबदेह ठहराने और कानूनी प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए न्यायिक प्रशासन के समक्ष उपस्थित होने के लिए मजबूर करना।

2- अपराधी को उसके अपराध से अर्जित लाभों और परिणामों से वंचित करना ताकि अपराधी और अन्य व्यक्ति अपराध करने से डरें तथा न्याय और निष्पक्षया के सिद्धांत को बनाये रखें।

इस प्रकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 107 अपराध से अर्जित सम्पत्तियों की कुर्की व जब्ती के प्राविधान के परिणामस्वरूप समाज में विधि के शासन को मजबूत करने में ठोस पहल प्रतीत होती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 107 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जांच अधिकारी को कानून के सिद्धांत और निम्नलिखित प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिये जाते हैं-

1. जांच अधिकारी प्रथमतः यह सुनिश्चित करेगा कि सम्पत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप या अपराध की आय के रूप में किसी गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त हुई है, ऐसी सम्पत्ति के दस्तावेज प्राप्त करेगा तथा ऐसी कार्यवाही के दौरान उचित सतर्कता व गोपनीयता बरतेगा।

2. ऐसी सम्पत्ति की पहचान होने पर जांच अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त से कुर्की की कार्यवाही हेतु अनुमोदन प्राप्त करेगा।

3. ऐसी सम्पत्ति की पहचान होने व अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के समक्ष ऐसी सम्पत्ति की कुर्की के लिए आवेदन करेगा।

4. जांच अधिकारी ऐसी सम्पत्ति से सबंधित सभी जानकारी प्रस्तुत करेगा जिसमें सम्पत्ति का आपराधिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप या अपराध की आय के रूप में होने के संबंध में सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा आवेदन के तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रभावी पैरवी कर उचित ठहराने हेतु अनुरोध करेगा।

5. जांच अधिकारी को आवेदन के साथ उन व्यक्तियों/दावेदारों का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा जो ऐसे अपराध से प्रभावित है तथा जिन्हें उक्त सम्पत्ति वितरित की जाऐगी।

6. आवेदन के पश्चात न्यायालय अपनी संतुष्टि पर की ऐसी सम्पत्तियां आपराधिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप है, तो उस व्यक्ति को न्यायालय 14 दिवस में जवाब देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है। जांच अधिकारी को नोटिस प्राप्त कर, आरोपी/दावेदार को नोटिस की तामील के लिए सभी प्रयास करने होगें यदि ऐसी पहचान की गई

सम्पत्ति ऐसे व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के पास है तो नोटिस की एक प्रति ऐसे अन्य व्यक्ति को भी दी जाएगी।

7. ऐसे अभियुक्त/आरोपी/दावेदार द्वारा न्यायालय में स्पष्टीकरण पेश करने या ऐसे व्यक्ति को उचित अवसर दिये जाने के पश्चात जांच अधिकारी अपने द्वारा प्रस्तुत आवेदन के पक्ष में सभी संभावित साक्ष्य अपने पक्ष को रखने के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा ताकि न्यायालय उक्त सम्पत्ति को अपराध की आय मानकर उक्त सम्पत्ति को कुर्क करने के आदेश पारित कर सके।

8. यदि कोई व्यक्ति कारण बताओ नोटिस में निर्दिष्ट 14 दिवस की अवधि के भीतर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करता है तो न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आदेश जारी करने के लिए निवेदन किया जा सकता है।

9. जांच अधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि नोटिस जारी करने से आवेदन दाखिल करने का उद्देश्य विफल हो जाएगा, तो जांच अधिकारी बीएनएसएस 2023 की धारा 107(5) के प्राविधान के अनुसार न्यायालय या मजिस्ट्रेट को एकपक्षीय आदेश पारित करने का अनुरोध करेगा और न्यायालय की यह राय है कि नोटिस जारी करने से कुर्की, जब्ती का उद्देश्य विफल हो जाएगा, तो न्यायालय कुर्की/जब्ती का आदेश पारित करते हुए एकपक्षीय अंतरिम आदेश कर सकता है।

10. न्यायालय को यदि यह संतुष्टि हो जाती है कि कुर्क/जब्त की गई सम्पत्ति आपराधिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप अर्जित की गई है तो जांच अधिकारी न्यायालय से अनुरोध करेगा कि वह संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को अपराध की ऐसी आय को ऐसे अपराध से प्रभावित व्यक्तियों में आनुपातिक रूप से वितरित करने का निर्देश देने हेतु अनुरोध करेगा।

11. जांच अधिकारी न्यायालय के आदेश को अविलम्ब जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत कर जिला मजिस्ट्रेट से अनुरोध करेगा कि 60 दिनों की अवधि के भीतर अपराध की आय को अपराध से प्रभावित व्यक्तियों में वितरित कर दे।

12. यदि ऐसी आपराधिक आय पर दावा करने के लिए कोई दावेदार/पीड़ित उपस्थित नहीं होता है तो अपराध की ऐसी आय राजकोष में जब्त हो जाऐगी और जांच अधिकारी अविलम्ब अपराध की ऐसी आय को राजकोष में जमा कराने का प्रयास करेगा।

13. सम्पत्ति की कुर्की, जब्ती या वापसी की कार्यवाही किसी भी स्तर पर प्रारम्भ की जा सकती है।

मैं चाहूगा कि उपरोक्त बिन्दुओं को आप गहनता से अध्ययन कर लें तथा इस सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों/थाना प्रभारियों/विवेचकों को विस्तार से अवगत कराते हुए सतर्क कर दे कि वह अपने दायित्व के निर्वहन में किसी प्रकार की लापरवाही, उदासीनता तथा शिथिलता न बरते। उपरोक्त निर्देशों का उच्चाधिकारियों के गहन पर्यवेक्षण में कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

12.2.25

(प्रशान्त कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.समस्त पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2.समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3.समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।